सं.डब्ल्यू-02/0004/2018-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-X/20

भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

....

लोक उद्यम भवन,

ब्लॉक संख्या 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003.

दिनांक: 01 जुलाई, 2020

<u>कार्यालय आदेश</u>

विषय: केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) के निदेशक मंडल स्तर और निदेशक मंडल स्तर के नीचे के कार्यपालकों एवं गैर-संघवद्ध पर्यवेक्षकों का दिनांक 01-01-2017 से वेतन संशोधन- कार्य-निष्पादन आधारित वेतन (पीआरपी) के भुगतान के उदाहरणों के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को सीपीएसईज़ के निदेशक मंडल स्तर तथा निदेशक मंडल स्तर के नीचे के कार्यपालकों एवं गैर-संघवद्ध पर्यवेक्षकों के दिनांक 01-01-2017 से वेतन संशोधन के संबंध में लोक उद्यम विभाग के दिनांक 03-08-2017 के कार्यालय ज्ञापन सं- डब्ल्यू-02/0028/2017-डीपीई(डब्ल्यूसी)-जीएल-XIII/17 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है।

2. लोक उद्यम विभाग के वेतन संशोधन पर दिशा-निर्देश जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पीआरपी की गणना के लिए नई पद्धति शामिल है, निदेशक मंडल स्तर तथा निदेशक मंडल के स्तर के नीचे के सभी कार्यपालकों के लिए लागू है। तदनुसार पीआरपी की गणना के लिए स्पष्ट किया गया मूल वेतन के 100% की सीमा के साथ संयुक्त निधि (किट्टी) फैक्टर, निदेशक मंडल स्तर कार्यपालकों सहित सभी कार्यपालकों के लिए लागू है।

3. अधिक स्पष्टता एवं सुस्पष्टता की दृष्टि से लोक उद्यम विभाग ने, अनुसूची 'क' सीपीएसई के सीएमडी के मामले में पीआरपी अदा करने के लिए एक और उदाहरण तैयार किया है जो व्याख्यात्मक प्रकृति का है। सभी सीपीएसईज़ से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त पैरा-2 के अनुरूप एवं इस कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न उदाहरण के अनुसार, अपने पीआरपी गणना की समीक्षा करें। भूतकाल में यदि विचलन हुए हों तो उन्हें भी ठीक किया जाए।

4. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सीपीएसईज़ के ध्यान में लाए तथा लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराएं।

(समसुल हक)
अवर सचिव

संलग्न: उपर्युक्त

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मुख्य कार्यपालक
2. भारत के नियंत्रण एवं महालेखा-परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली
3. प्रशासनिक मंत्रालयों में वित्तीय सलाहकार
4. व्यय विभाग, ई-III-ए, ब्रांच, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली
5. एनआईसी, डीपीई को अनुरोध के साथ की वे इस कार्यालय ज्ञापन को डीपीई की वेबसाइट पर लोड करें।

(समसुल हक)
अवर सचिव

Annexure

Performance Related Pay (PRP): Examples for calculating Kitty factor/Allocable profit

- **PRP Kitty Distribution : within 5% of profit accruing from core business activities**
  (hereinafter, for brevity, referred to as Profit).
- **Ratio of relevant year's profit : incremental profit = 65 : 35**

Sl.	Parameters	Amount (Rs.)/ %age
1	FY 2016-17	Profit = 5000 crore
2	FY 2017-18 [for which PRP is to be distributed]	Profit = 6000 crore
3	Incremental profit	1000 crore
4	5% of the year's profit	300 crore
5	*Allocable profit out of current year's 5% of profit based on distribution in the ratio of 65:35 towards the year's profit and incremental profit:*	
a.	PRP payout from year's profit	195 crore [i.e. 65% out of 300 crore]
b.	PRP payout from incremental profit	105 crore [i.e. 35% out of 300 crore]: [105 crore can be fully utilized as incremental profit is 1000 crore.]
6	Full PRP Payout requirement (computed for all executives based on Grade-wise ceilings, CPSE's MOU rating, Team rating & Individual performance rating) – *but without applying kitty factor related to year's profit or Incremental profit*	300 crore
7	*PRP payout break-up based on 65:35 distribution out of year's profit and incremental profit:*	
a	PRP amount required out of year's profit (i.e. 65% of Sl. No. 6)	65% of 300 crore = 195 crore
a1	Cut-off factor(1) (in %age) for year's PRP payout with reference to Sl. No. 5(a) & 7(a)	195 crore / 195 crore = 100.00%
b	PRP amount required out of incremental profit (i.e. 35% of Sl. No. 6)	35% of 300 crore = 105 crore
b1	Cut-off factor(2) (in %age) for incremental PRP payout with reference to Sl. No. 5(b) & 7(b)	105 crore / 105 crore = 100.00%
8	Thus, total Profit amount allocated for distribution	195 crore + 105 crore = 300 crore [i.e. 5% of Core business / operating profit]
9	Kitty factor for respective Grade (in %age)	[65% x Grade PRP ceiling (%) x Cut-off factor(1)] ***Plus (+)*** [35% x Grade PRP ceiling x Cut-off factor(2)] = **Kitty factor**

PRP Pay out to CMD Schedule A, CPSE, 2017 Pay Scales

Sl	**Parameter**	**Amount(Rs)/%age Payout**
A	CPSE's MOU Rating [Weightage = 50%]	100%
B	Team's Ratings [Weightage = 30%]	100%
C	Individual's performance ratings [Weightage = 20%]	100%
D	Grade Ceilings(CMD) (Max 150% of BP)	150% of BP
E	Cut-off factor(1)	100.0%
F	Cut-off factor(2)	100.0%
G	Kitty factor for CMD Ie [65% * D(grade PRP ceiling * E(Cut off factor(1))] Plus [35%* D(Grade PRP Ceiling) * F(Cut –Off factor(2))]	[65% x 150%x 100%] + [35% x 150%x 100%] =97.5 % + 52.5% = 150 %. **But as per guidelines, Kitty factor is restricted to 100%.**
H	Net PRP	
I	Factor –X [Company's Performance component]	Wtg (50%) x A x G = 50 x100x 100 = 50%
Ii	Factor – Y [Team's Performance component]	Wtg (30%) x B x G = 30x 100 x 100= 30 %
Iii	Factor –Z [Individual's Performance component]	Wtg (20%) x C x G = 20x 100 x 100= 20 %
I	PRP Payout distribution	**Factor X +Factor Y +Factor Z** **= 100 % of Basic Pay**
J	Total PRP payment (Minimum Annual Basic Pay for CMD Schedule A CPSE	100% of Rs 24,00,000/- = Rs 24,00,000/-